

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1220]

No. 1220]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2011/आषाढ़ 6, 1933

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2011/ASADHA 6, 1933

'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2011

का.आ. 1463(अ).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की घारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 220.000 कि.मी. से 580.000 कि.मी. तक के खंड (चितौड़गड़ - कोटा - बारन - राजस्थान/ मध्य प्रदेश सीमा), को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में प्रचालन अनुरक्षण और हस्तांतरण(ओएमटी) आधार पर मैसर्स कोटा - बारां टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रिजस्ट्रीकृत कार्यालय 414, साहाजानंद अरकेड 132 एफ.टी. रिंग रोड, ओपोसिठ हेलमेट, ट्रेफिक पोलीस सरकल मामनगर, अहमदाबाद-380052 में है के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 388.263 कि.मी. से 492.322 कि.मी., के कोटा - बारां खंड (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त खंड कहा गया है), 443.170 कि.मी. से 458.170 कि. मी. बारां बाईपास सिहत जिसकी लागत लगभग 92 करोड़ रूपए है, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु करार किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2529(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2009 तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1849(अ) तारीख 28 जुलाई, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए फीस नीचे की सारणी I और सारणी II स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को इम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, अथवा वाणिज्य प्रचालन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती में हो, वास्तविक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी I उक्त सेक्शन के उपयोग के लिये आधार फीस

क्रम संख्यांक	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एकतरफा यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी	1.05
	बस	
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूर्विग उपरकर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

सारणी II

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति एकतरफा फेरा रुपये)						
स्थायी बाईपास की	कार,	हल्के	ट्रक या बस	भारी संनिर्माण	अधिक बड़े	
लागत	जीप,	वाणिज्यिक		मशीनरी या	यान	
(रुपए करोड़ में)	वैन या	यान हल्के माल		अर्थ मृविंग		
	हल्के	यान या मिनी		उपस्कर या		
	मोटर	बस		बहुधुरीय यान		
	यान					
10 से 15	5	7.50	15	22	30	
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच	1	1.50	3	4.50	6	
करोड़ रुपए या उसके						
भाग के लिए पंद्रह						
करोड़ रुपए से अधिक						
और एक सौ करोड़						
रुपए तक						

टिप्पण:-

1) फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिट दुरी के लिए किया जायेगा।

खंड	लंबाई	प्लाजा का अवस्थान
388.263 कि. मी 430.943 कि. मी.	42.680	409.68 कि. मी.
430.943 कि.मी 443.170 कि.मी. और 458.170 कि.मी - 492.322 कि.मी		461.290 कि. मी.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इसके अधीन नीचे यथा विनिर्दिष्ट बाइपास के लिए उदग्रहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित पथकर प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी ।

क्रम सं.	पथकर प्लाजा का अवस्थान	प्रसुविधा की प्रकृति	मूल्य (करोड़ रु में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 461.290 कि.मी.	बारां बाइपास 443.170 कि.मी. से 458.170 कि.मी. तक	92.00

2) पूर्ववर्ती फीस पुनरीक्षण की तारीख से छह मास की अवधि के व्यंपगत होने से पूर्व, फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/607/10-11/सी.ओ./जीसी-चित्तौड़गढ़ (कोटा-बारां) ओ.एम.टी.] बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2011

S.O. 1463(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from Km 220.00-Km 580.00 (Chittorgarh – Kota – Baran - Rajasthan/ Madhya Pradesh Border Section) of National Highway No 76 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Kota Baran Tollway Private Limited having its registered office at 414, Sahajanand Arcade 132 Feet

Ring Road Opposite Helmet, Traffic Police Circle Mamnagar, Ahmedabad 380052) for operation and maintenance of Kota –Baran section from km 388.263 to 492.322 including Baran bypass from km 443.170 to km 458.170, the approximate cost of which is rupees Ninety Two crores on National Highway No. 76 in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the said section) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956, read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notifications number S.O 2529(E) dated 5th October, 2009 and S.O 1849(E) dated 28th July, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees, on the mechanical vehicles, specified in column 2 of the following Table I and Table II, at the base rate specified in column 3 thereof, for the use of the said section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, which ever is later, till the termination date, namely:-

Table I
Base rate for the use of the said section.

S. No.	Category of vehicle	Base rate of fee per km per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table II

permanent bypass (rupees		Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	Truc k or Bus	HCM, EME or MAV.	Oversized Vehicle.
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.		1.50	3	4.50	6

Notes:-

1. The fee shall be collected at the following locations of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:--

Stretch	Length	Plaza location	
Km 388.263 - Km 430.943	42.680	Km 409.68	
Km 430.943 - Km 443.170 and from Km 458.170 Km 492.322		Km 461.290	

In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the bypass as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza(s):-

Sr. No.	Location of Toll Plaza (Chainage)	Nature of the Facility	Cost (in Rs Crore)
1	for warm to recommend the same of the same	Baran Bypass from Km 443.170 to Km 458.170	

2. The revision of fee shall not be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/607/10-11/CO/GC-Chittorgarh (Kota-Baran) OMT]

B. B. MOHAPATRA, Director

23944011-2